न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
051/2021 (GCMS 2021/51)	15.04.2021	15.04.2021

अनवान

लक्ष्मीलाल पिता नाहर सिंह गिलुण्डिया उम्र 70 वर्ष निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

निगराकार/प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत राशगी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. कालु खां पिता अजीज खां मेवाती उम्र वयस्क, निवासी राशमी तहसील, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. श्रीमती रेखा व्यास पत्नी किशनलाल व्यास, उम्र, वयस्क निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

गैर निगराकार/विपक्षीगण

–:: प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 47 एवं सहपठित धारा 97(3) पंचायत राज अधिनियम बाबत् पुनर्विलोकन (रिव्यू) ::–

उपस्थिति :– श्री भगवतसिंह गिलुण्डिया निगराकार/प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 47 एवं सहपठित धारा 97(3) पंचायत राज अधिनियम बाबत् पुनर्विलोकन (रिव्यू) विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से न्यायालय आप में उपरोक्त अनवान की निगरानी क्रमाक 41/2016 निर्णय दिनांक 11.02.2021 निर्णित की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया दस्तावेज, रिकॉर्ड व तथ्यों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया, उक्त निर्णय को पुनर्विलोकन आवेदन द्वारा पुनः सुनवाई कर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। इस कारण यह आवेदन अंतर्गत आदेश 47 जाप्ता दीवानी व 97 (3) पंचायत राज अधिनियम के तहत विचारार्थ प्रस्तुत है। ग्राम पंचायत राशमी द्वारा ग्राम राशमी की आराजी नम्बर 1225 बिलानाम सरकार किस्म खड्डा का पट्टा क्रंमाक 22448 दिनांक 20.05.2013 को विधि विरूद्ध जारी किया जिसकी निगरानी न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आप में पेश की। निगरानी में पारित निर्णय के समय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार न कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल हुई है जिससे उक्त पुनर्विलोकन आवेदन द्वारा सुनवाई कर निर्णय नये सिरे से पारित किया जाना न्यायोचित है। ग्राम पंचायत राशमी द्वारा दिनांक 20.05.2013 को पट्टा जारी किया तथा दिनांक 03.06.2013 को तहसीलदार राशमी के यहां पंजीयन कराया गया उस वक्त उक्त जमीन आबादी भूमि नहीं थी तथा बिलानाम भूमि का पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। उक्त आराजी नम्बर 1225 बिलानाम सरकार से म्यूटेशन क्रंमाक 1982 से दिनांक 13.11.2014 को बिलानाम से आबादी दर्ज हुई। इस प्रकार पंचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20.05.2013 को उक्त भूमि आबादी भूमि नहीं थी उसके उपरांत भी बिलानाम भूमि में पट्टा जारी कर पंजीयन कराया गया जो दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध होते हुए उन पर विचार न कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। पंचायत राशमी द्वारा जो पत्रावली नीलामी हेतु कायम की गई उसमें दिनांक 20.02.2013 को 100/–रूपये प्रति वर्गफीट आरक्षित पर नीलामी करने का प्रस्ताव पास हुआ, परन्तु पंचायत द्वारा उसके पूर्व ही उक्त भूखण्ड का 18.02.2013, 19.02.2013, 20.02.2013 की नीलामी बता विक्रय करना बताया। इस प्रकार आरक्षित दर का प्रस्ताव बाद में पास किया गया, इस कारण नीलामी की संपूर्ण कार्यवाही अवैध एवं विधि विरूद्ध है। भूमि आराजी नम्बर 1225 बिलानाम सरकार किस्म खड्डा होकर आबादी के लिए उपयुक्त नहीं थी। उक्त भूमि को किसी प्रकार आवंटन किए जाने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सरकार द्वारा रोक लगा रखी है, जो भूमि पहाड़, नदी, तालाब, खड्डा, नाली इत्यादि दर्ज है उसे किस्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है परन्तु पंचायत द्वारा तत्कालीन अधिकारी से मिलकर दिनांक 30.03.2012 को सेटपार्ट की गई। उक्त भूमि विधि विरूद्ध होने से आबादी दर्ज योग्य नहीं थी। पंचायत द्वारा विकास अधिकारी के पास पत्रावली दिनांक 28.03.2013 के पत्र द्वारा भेजना बताया उसी दिन 28.03.2013 को पंचायत समिति बैठक में अनुमोदन करना बता पंचायत को लौटाई। इस प्रकार पत्रावली पर स्वीकृति के पूर्व विकास अधिकारी द्वारा कोई विधिक कार्यवाही एवं स्वीकृति न देकर मात्र खानापूर्ति की गई है। उक्त कार्यवाही पंचायत की भूमि को खुर्द–बुर्द करने की नियत से तत्कालीन अधिकारीयों द्वारा की गई। पट्टा जारी करने के पूर्व पंचायत द्वारा जो पत्रावली कायम की गई उसकी आज्ञा सूची अनुसार पालना न कर, बैठक में पारित आदेश की पालना न कर आदेशिका क्रंमाक 04 में दिनांक 20.02.2013 पर 28.03.2013 पंचायत समिति का अंकन कर रखा है जबकि 20.02.2013 को पत्रावली विकास अधिकारी के पास पहुंची ही नहीं। इस प्रकार विकास अधिकारी द्वारा आदेशिका पर गलत इंद्राज किया गया। दिनांक 20.04.2013 को पंचायत की कोई कौरम नहीं हुई तथा आदेशिका में कांट–छांट कर सचिव के हस्ताक्षर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं थे। पंचायत सरपंच रेखा व्यास द्वारा बिना कौरम के पट्टा जारी करने का आदेश पारित कर दिया तथा उसी पेज पर दिनांक 20.05.2013 को राशि जमा कराने व पट्टा जारी करने का निर्णय हुआ। उस पर केवल तत्कालीन सरपंच रेखा व्यास के हस्ताक्षर है, सचिव एवं कौरम के सदस्यों के कोई हस्ताक्षर स्वीकृति स्वरूप नहीं थे। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच रेखा व्यास द्वारा पत्रावली पर कांट–छांट कर पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश पर केवल रेखा व्यास के ही हस्ताक्षर है। सचिव व पंचायत की कौरम नहीं हुई। इस प्रकार समस्त कार्यवाही तत्कालीन सरपंच रेखा व्यास द्वारा अवैध तरीके से की गई। इस कारण पुनर्विलोकन आवेदन पेश है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः प्रार्थना है कि पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत राशमी द्वारा पारित पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जाकर भूमि कब्जे सरकार ली जावे।

प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाद जांच पेश हुआ। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी भगवतसिंह गिलुण्डिया हाजिर। हाजिर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को रिव्यू प्रार्थना पत्र के ग्राह्यता के स्तर पर एक तरफा सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस एडमिशन में बताया कि प्रार्थी की ओर से न्यायालय आप में उपरोक्त अनवान की निगरानी क्रमाक 41/2016 निर्णय दिनांक 11.02.2021 निर्णित की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया दस्तावेज, रिकॉर्ड व तथ्यों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत राशमी द्वारा ग्राम राशमी की आराजी नम्बर 1225 बिलानाम सरकार किस्म खड्डा का पट्टा क्रंमाक 22448 दिनांक 20.05.2013 को विधि विरूद्ध जारी किया जिसकी निगरानी न्यायालय आप में पेश की। निगरानी में पारित निर्णय के समय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार न कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल हुई है जिससे उक्त पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत राशमी द्वारा दिनांक 20.05.2013 को पट्टा जारी किया तथा दिनांक 03.06.2013 को तहसीलदार राशमी के यहां पंजीयन कराया गया उस वक्त उक्त जमीन आबादी भूमि नहीं थी। उक्त आराजी नम्बर 1225 बिलानाम सरकार से म्यूटेशन क्रंमाक 1982 से दिनांक 13.11.2014 को बिलानाम से आबादी दर्ज हुई। इस प्रकार पंचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20.05.2013 को उक्त भूमि आबादी भूमि नहीं थी उसके उपरांत भी बिलानाम भूमि में पट्टा जारी कर पंजीयन कराया गया। ग्राम पंचायत राशमी द्वारा जो पत्रावली नीलामी हेतु कायम की गई उसमें दिनांक 20.02.2013 को 100/–रूपये प्रति वर्गफीट आरक्षित पर नीलामी करने का प्रस्ताव पास हुआ, परन्तु पंचायत द्वारा उसके पूर्व ही उक्त भूखण्ड का 18.02.2013, 19.02.2013, 20.02.2013 की नीलामी बता विक्रय करना बताया। इस प्रकार आरक्षित दर का प्रस्ताव बाद में पास

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया, इस कारण नीलामी की संपूर्ण कार्यवाही अवैध एवं विधि विरूद्ध है। भूमि आराजी नम्बर 1225 बिलानाम सरकार किस्म खड्डा होकर आबादी के लिए उपयुक्त नहीं थी। उक्त भूमि को किसी प्रकार आवंटन किए जाने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सरकार द्वारा रोक लगा रखी है, जो भूमि पहाड़, नदी, तालाब, खड्डा, नाली इत्यादि दर्ज है उसे किस्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है परन्तु पंचायत द्वारा तत्कालीन अधिकारी से मिलकर दिनांक 30.03.2012 को सेटपार्ट की गई। उक्त भूमि विधि विरूद्ध होने से आबादी दर्ज योग्य नहीं थी। पंचायत द्वारा विकास अधिकारी के पास पत्रावली दिनांक 28.03.2013 के पत्र द्वारा भेजना बताया उसी दिन 28.03.2013 को पंचायत समिति बैठक में अनुमोदन करना बता पंचायत को लौटाई। इस प्रकार पत्रावली पर स्वीकृति के पूर्व विकास अधिकारी द्वारा कोई विधिक कार्यवाही एवं स्वीकृति न देकर मात्र खानापूर्ति की गई है। उक्त कार्यवाही पंचायत की भूमि को खुर्द–बुर्द करने की नियत से तत्कालीन अधिकारीयों द्वारा की गई। पट्टा जारी करने के पूर्व पंचायत द्वारा जो पत्रावली कायम की गई उसकी आज्ञा सूची अनुसार पालना न कर, बैठक में पारित आदेश की पालना न कर आदेशिका क्रंमाक 04 में दिनांक 20.02.2013 पर 28.03.2013 पंचायत समिति का अंकन कर रखा है जबकि 20.02.2013 को पत्रावली विकास अधिकारी के पास पहुंची ही नहीं। इस प्रकार विकास अधिकारी द्वारा आदेशिका पर गलत इंद्राज किया गया। दिनांक 20.04.2013 को पंचायत की कोई कौरम नहीं हुई तथा आदेशिका में कांट–छांट कर सचिव के हस्ताक्षर नहीं थे। पंचायत सरपंच रेखा व्यास द्वारा बिना कौरम के पट्टा जारी करने का आदेश पारित कर दिया तथा उसी पेज पर दिनांक 20.05.2013 को राशि जमा कराने व पट्टा जारी करने का निर्णय हुआ। उस पर केवल तत्कालीन सरपंच रेखा व्यास के हस्ताक्षर है, सचिव एवं कौरम के सदस्यों के कोई हस्ताक्षर स्वीकृति स्वरूप नहीं थे। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच रेखा व्यास द्वारा पत्रावली पर कांट–छांट कर पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश पर केवल रेखा व्यास के ही हस्ताक्षर है। सचिव व पंचायत की कौरम नहीं हुई। इस प्रकार समस्त कार्यवाही तत्कालीन सरपंच रेखा व्यास द्वारा अवैध तरीके से की गई। इस कारण पुनर्विलोकन आवेदन पेश है। जिसे दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश प्रदान कराया जाकर प्रकरण में नये सिरे से निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी एडमिशन बहस समाप्त की।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। प्रार्थी की और से प्रस्तुत पत्रावली में न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 041/2016 निर्णय दिनांक 11.02.2021 अनवानी लक्ष्मीलाल बनाम ग्राम पंचायत राशमी वगैराह की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की और से निर्णय दिनांक 11.02.2021 की अतिरिक्त और कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। हमने निर्णय दिनांक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.02.2021 का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस एडमिशन का मनन किया। हमने विधि का अवलोकन किया। पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 47 में प्रावधान प्रावधित किये गये है

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any partyunless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

ORDER XLVII-REVIEW

1 . Application for review of judgment—

(1) Any person considering himself aggrieved—

(a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred,

(b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or

(c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes, and who, from the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record of for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order.

(2) A party who is not appealing from a decree or order may apply for a review of judgment notwithstanding the pendency of an appeal by some other party except where the ground of such appeal is common to the applicant and the

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

appellant, or when, being respondent, he can present to the Appellate Court the case on which he applies for the review.

2 . [To whom applications for review may be made.] Rep. by the Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 1956 (66 of 1956), s. 14.

3 . Form of applications for review— The provisions as to the form of preferring appeals shall apply mutatis mutandis, to applications for review.

4 . Application where rejected—

(1) Where it appear to the Court that there is not sufficient ground for a review, it shall reject the application.

(2) Application where granted—Where the Court is of opinion that the application for review should be granted, it shall grant the same:
Provided that—

(a) no such application shall be granted without previous notice to the opposite party, to enable him to appear and be heard in support of the decree or order, a review of which is applied for; and

(b) no such application shall be granted on the ground of discovery of new matter or evidence which the applicant alleges was not within his knowledge, or could not be adduced by him when the decree or order was passed or made, without strict proof of such allegation.

5 . Application for review in Court consisting of two or more judges— Where the Judge or Judges, or any one of the judges, who passed the decree or made the order a review of which is applied for, continues or continued attached to the Court at the time when the application for a review is presented, and is not or not precluded by absence or other cause for a period of six months next after the application from considering the decree or order to which the application refers, such Judge or Judges or any of them shall hear the application, and no other Judge or Judges of the Court shall hear the same.

6 . Application where rejected—

(1) Where the application for a review is heard by more than one judge and the Court is equally divided, the application shall be rejected.

(2) Where there is a majority, the decision shall be according to the opinion of the majority.

7 . Order of rejection not appealable. Objections to order granting application— [442]

[(1) An order of the Court rejecting the application shall not be appealable; but an order granting an application may be objected to at once by an appeal from the order granting the application or in an appeal from the decree or order finally passed or made in the suit.]

(2) Where the application has been rejected in consequence of the failure of the applicant to appear, he my apply for an order to have the rejected application restored to the file, and, where it is proved to the satisfaction of the Court that he was prevented by any sufficient cause from appearing when such application was called on for hearing, the Court shall order it to be restored to the file upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for hearing the same.

(3) No order shall be made under sub-rule (2) unless notice of the application has been served on the opposite party.

8 . Registry of application granted, and order for re-hearing— When an application for review is granted, a note thereof shall be made in the register and the Court may at once re-hear the case or make such order in regard to the re-hearing as it thinks fit.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9 . Bar of certain application— No application to review an order made on an application for a review or a decree or order passed or made on a review shall be entertained.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97(3) के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी भी समय, उप धारा (1) के अधीन आदेश पारित किये जाने के नब्बे दिन के भीतर–भीतर ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी यदि वह उसके द्वारा किसी भूलवश जो, चाहे तथ्य की हो या विधि की, या किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानवतावश, पारित किया गया हो। उप–धारा (1) के परन्तुक और उप–धारा (2) में अंतर्विष्ट इस उप–धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगें। इसके साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 47 नियम 1 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने को व्यथित समझता है और जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरूद्ध पारित डिक्री या किए गये आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए वह उस न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा जिसने वह डिक्री पारित की थी या वह आदेश किया था।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की और से निर्णय दिनांक 11.02.2021 के संबंध में मुख्य रूप से यह तथ्य अपने प्रार्थना पत्र में उठाया गया है कि आराजी संख्या 1225 बिलानाम सरकार किस्म खड्डा का पट्टा क्रमांक 22448 दिनांक 20.05.2013 को जारी किया गया तथा दिनांक 03.06.2013 का तहसीलदार राशमी के यहां पंजीयन कराया गया उस वक्त जमीन आबादी भूमि नहीं थी तथा बिलानाम भूमि का पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। इस संबंध में निर्णय दिनांक 11.02.2021 के पृष्ठ संख्या 4 की

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पंक्ति संख्या 29 से अंकन किया गया है कि ''**विवादित आराजी संख्या 1225 रकबा 10 बिस्वा भूमि किस्म खड्डा गलत दर्ज रेकार्ड थी जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 18.05.2011 द्वारा शुद्ध किया जाकर किस्म बंजड ॥ का अंकन राजस्व रिकार्ड किया गया। ग्राम पंचायत राशमी द्वारा साफ सफाई एवं अन्य विकास कार्यो के व्यय हेतु उक्त भूमि को नियमानुसार आबादी हेतु आरक्षित किये जाने की कार्यवाही की गई। जिस पर सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राशमी द्वारा आदेश क्रमांक/प–2/राजस्व/ 2012/1–3 दिनांक 30.03.2012 द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/एफ 6(2)राज/बी/967 दिनांक 17.01.1967 एवं परिपत्र क्रमांक/पी–6(17)/राज/4/88 दिनांक 03. 12.1988 एवं दिनांक 06.12.1988 के परिपेक्ष्य में ग्राम राशमी की बंजड ॥ आराजी संख्या 1225 रकबा 10 बिस्वा भूमि आबादी विस्तार हेतु (सेटअपार्ट) की गई।**'' ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र में उठाये गये इस तथ्य को न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.02.2021 में देखा जा चुका है, एवं आराजी संख्या 1225 रकबा 10 बिस्वा भूमि के किस्म परिवर्तन एवं आबादी हेतु आरक्षित किये जाने के तथ्य को हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के तहत देखा जाना उचित नहीं है, क्योंकि किस्म परिवर्तन एवं आबादी हेतु आरक्षित किये जाने के प्रावधान के विरूद्ध नियमानुसार सक्षम न्यायालय से चाराजोही किये जाने के प्रावधान प्रावधित है। प्रार्थी इस संबंध में सक्षम स्तर पर चाराजोही के लिये स्वतंत्र है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन के साथ प्रार्थना पत्र में उठाये गये इस तथ्य के संबंध में किसी भी प्रकार के ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है, इस संबंध में ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाना आवश्यक रूप से अपेक्षित है। यहां यह तथ्य भी जाहिर होता है कि विवादित आराजी संख्या 1225 रकबा 10 बिस्वा भूमि को सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 30.03.2012 के द्वारा आबादी भूमि हेतु आरक्षित किया गया है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त आराजी संख्या 1225 बिलानाम सरकार से नामान्तरकरण संख्या 1982 दिनांक 13.11.2014 को बिलानाम से आबादी दर्ज अभिलिखित की गई है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1982 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिस के लिये ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अति आवश्यक है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन में पट्टा जारी किये जाने की प्रक्रियात्मक त्रुटि के तथ्यों को निर्णय दिनांक 11.02.2021 में गहनता पूर्वक विस्तृत रूप से विश्लेषित किया जाकर पट्टा जारी किये जाने की प्रक्रिया का परीक्षण किया चुका है। एवं न्यायालय द्वारा गहनता पूर्वक परीक्षण किये जाने के उपरांत निर्णय दिनांक 11.02.2021 से अधीनस्थ ग्राम पंचायत राशमी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा विवादित पट्टा संख्या 22448 दिनांक 22.05.2013 में किसी भी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं पाये जाने से विवादित पट्टा संख्या 22448 दिनांक 22.05.2013 की पुष्टि की गई है। प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् पुनर्विलोकन विधि के प्रावधानों के तहत निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई ठोस दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट नहीं होता है कि निर्णय दिनांक 11.02.2021 में किसी भूलवश जो, चाहे तथ्य की हो या विधि की, या किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानवतावश, पारित किया गया हो। इसके साथ ही ऐसी कोई नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता नहीं चला है जिसके सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस समय जब आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया जा सका था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट हो ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके साथ प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में यह साबित कराये जाने में असफल रहा है कि प्रार्थी अन्य किसी पर्याप्त कारणों से न्यायालय आदेश दिनांक 11.02.2021 का पुनर्विलोकन किया जाए। प्रार्थी यह साबित कराये जाने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् पुनर्विलोकन अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 जा0दी0 सपठित धारा 97(3) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 प्रावधानों के तहत सुसंगत हो, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् पुनर्विलोकन एडमिशन स्तर पर ही सारहीन होना पाया जाता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् पुनर्विलोकन निर्णय दिनांक 11.02.2021 बमामले प्रकरण संख्या 041/2016 अनवानी लक्ष्मीलाल बनाम ग्राम पंचायत राशमी वगैराह को सारहीन होने से ग्राह्यता(एडमिशन) के स्तर पर ही खारीज किया जाता है। प्रार्थना पत्र को विविध प्रार्थना पत्र के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जावें। तद्नुसार अभिलेख में अंकन किया जावें। निर्णय को ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **15.04.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.06.05 13:22:16 IST
Reason: SelfAttested